अनवान संतोख सिंह बनाम जगसीर सिंह
वाद मुकदमा नं. 122/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 122 /2025

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

संतोख सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..... **वादी**

ब ना म

1. जगसीर सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती सुखजीत कौर पत्नी श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. राजदीप कौर पुत्री श्री जगसीर सिंह पत्नी श्री गुरलाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

...... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित–अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा	वादीगण
अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर	प्रतिवादी 1 ता 3
पैरोकार राज	प्रति.–4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 18.07.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी गांव 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है, वादी का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वादपत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्न है। वादी के पिता, प्रतिवादी सं. 1 जगसीर सिंह के नाम से वाके चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/21 का मुरब्बा नम्बर 8, 20, 26 व 34 की कुल 6.708 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व इसी चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 45/42 का मुरब्बा नम्बर 38, 52 व 63/23 की कुल 3.565 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 763/3565 हिस्सा यानि 0.763 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि व इसी [illegible] हल्का 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 53 [illegible] का [illegible] नम्बर 9 व 18 की कुल 7.590 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि [illegible] 3795 हिस्सा [illegible] 0.632 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। [illegible] संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से वि[illegible] में प्राप्तशुदा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:54 IST
Reason: SelfAttested

पखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

विरासतन प्राप्त सम्पत्ति की आय से अर्जित की हुई भूमि है। जो कि जद्दी जायदाद की परिभाषा में आती है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है तथा उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी व प्रतिवादीया संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादीया संख्या 3 वादी से अत्याधिक स्नेह व लगाव रखती है इसलिए उसने अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। प्रतिवादीगण ने अपनी स्वेच्छा वा सहमति से उक्त भूमि का वादी के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी को निम्न लिखित भूमि हिस्सा में प्राप्त हुई है:–

वादी संतोख सिंह को चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/21 का मुरब्बा नम्बर 8, 20, 26 व 34 की कुल 6.708 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 8 का किला नम्बर 21(0.253), 22(0.253), 23(0.253), 24/2(0.227) कुल 0.986 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि।

उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादी अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। इसी विश्वास पर वादी ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी पढा लिखा व अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी सभी सुविधाओं से वंचित रहता हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 20.06.2025 को उन्होने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:–

(1) यह कि पैतृक भूमि, जो वाद पत्र में वर्णित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, वादी को घरू बंटवारानामा अनुसार उनके हिस्सा में आई भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

(2) यह कि डिक्री खाता विभाजन की जारी की जाकर भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें [illegible] अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर [illegible] की गयी है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से उक्त [illegible] अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. यह कि वादी संतोख सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को वाके चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/21 का मुरब्बा नम्बर 8, 20, 26 व 34 की कुल 6.708 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 8 का किला नम्बर 21(0.253), 22(0.253), 23(0.253), 24/2(0.227) कुल 0.986 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त रकबा वादी के नाम से दर्ज करवाया जावे।

लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने अपनी रजामन्दी बिना किसी दबाव के तहरीर करवाया है। ताकि सनद रहें।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी विवाद नहीं होने एवं प्रकरण में राजीनामा पेश होने पर प्रकरण में विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

वादी द्वारा साक्ष्य वादी में संतोख सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जट सिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमे जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. कालियां, खाता संख्या 44/21 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. कालियां, खाता संख्या 45/42 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. कालियां, खाता संख्या 53/48 प्रदर्श–3, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तादादी 50/–रूपये प्रदर्श–4 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाद में वर्णित भूमि पर किसी भी विधि न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा ना ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है। वादग्रस्त आराजी पर मौका पर मिकर संख्या 1 का शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि मिकरा संख्या 3 वाद में वर्णित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि मिकरान का उक्त कृषि भूमि पर कोई बकाया नहीं है, अगर होगा या निकलेगा तो जमा करवाने हेतु पाबंद रहेंगे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. कालियां, खाता संख्या 44/21 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. कालियां, खाता संख्या 45/42 प्रदर्श–2, जमाबंदी सम्वत 2070–2073 चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई, भू.अ.नि. कालियां, खाता संख्या 53/48 प्रदर्श–3, वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तादादी 50/–रूपये प्रदर्श–4 के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, [illegible] 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआरडी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर [illegible] (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 489 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ [illegible]) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पंति में जन्म से ही अधिकार है।

मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर जगसीर सिंह (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम से दर्ज कृषि भूमि चक 6 वाई पटवार हल्का 3 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/21 का मुरब्बा नम्बर 8, 20, 26 व 34 की कुल 6.708 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 8 का किला नम्बर 21(0.253), 22(0.253), 23(0.253), 24/2(0.227) कुल 0.986 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि का वादी संतोख सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें।

स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ऋृण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 18.07.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.08.19 10:19:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner